न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—137/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/137)

1. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सांवरलाल पुत्र हनुमानदास जाति साधू निवासी ग्राम लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. चन्द्रकला पुत्री किशनलाल जाति साधू
3. चांदा पत्नी सत्यनारायण जाति साधू
4. नवरतन पुत्र नाबालिग सत्यनारायण जाति साधू संरक्षक माता खुद
5. पायल पुत्री नाबालिग सत्यनारायण जाति साधू संरक्षक माता खुद
6. बसंतीदेवी पत्नी किशनलाल जाति साधू
7. ममता पुत्री किशनलाल जाति साधू
8. महेश पुत्र सत्यनारायण जाति साधू जरिए संरक्षक माता खुद
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र किशनलाल जाति साधू
10. ललिता पुत्री किशनलाल जाति साधू समस्त निवासी ग्राम लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार , नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 107/2019

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 11
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 10 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 107/2019 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी सांवरलाल पुत्र हनुमानदास ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया तथा अधिवक्ता वादी ने वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किए तथा साक्ष्य पेश नही की गई तथा प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना लिखा गया एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.3.2022 व प्राथमिक डिक्री गैर कानूनी विधि विरूद्ध तरीके से विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के काउन्टर दावा से बनी तनकी संख्या 2 का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया केवल मात्र वादी का वाद विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.3.2022 को स्वीकार कर निर्णय डिक्री पारित की गई है। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई। रेसपोडेन्ट संख्या 02 से 06 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर तनकी संख्या 1 से 3 का निर्णय पारित कर दिया कि प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन के समक्ष पेश कर सकते हैं जबकि स्वयं वादी की साक्ष्य जीरह से यह स्पष्ट है कि कन्हैयालाला ने जमीन के खसरा नम्बर 2141 रकबा 2.26 हैक्टयर है जिसमें हिस्सेदार माता गोपाली, राधेश्याम, हनुमानदास, सांवरलाल, शिवलहरी, किशनलाल का 1/5 हिस्सा भूमि खरीदी हुई है किन्तु उसका नामांतरण नहीं हुआ है का 9 बिस्वा भूमि नामांतरण हो तो कोई एतराज नहीं है तथा उक्त तथ्य बाबत अपीलार्थी द्वारा अपना काउन्टर दावा प्रस्तुत किया गया था जिससे हाल खसरा नम्बर 2141 के तरमीमी खसरा नम्बर 2141/6502 रकबा 0.11 का रजिस्ट्री होने के बावजूद अपीलार्थी के नाम नामांतरण नहीं हुआ एवं काउन्टर बाबत कोई निर्णय डिक्री ही पारित नहीं की गई जिससे यह अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 खरीदशुदा भूमि पर मालिक स्वामी काबिज चला आ रहा है और यदि राजस्व रेकार्ड में भूमि उनके नाम अंकन नहीं की गई तो अपीलार्थी को भारी नुकसान होगा तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य लेखबद्ध किए दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए निर्णय व डिक्री पारित किए गए। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा के हाल खसरा नम्बर 2141 रकबा 2.25 की आराजी प्रतिवादी व वादी की संयुक्त सह खातेदारी की है। उक्त आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। प्रतिवादी उक्त आराजी का बंटवारा कराना चाहता है। किन्तु वादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं व प्रतिवादी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावे। वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र में जवाब दावा प्राप्त कर प्रकरण में तनकियात कायम कर तनकियात पर साक्ष्य लेकर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध होता है कि आराजी मुतनाजा का पूर्व में विभाजन हुआ हो। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 01 का उक्त आराजी पर 2/9 हिस्सा अंकित हैं। प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिदावा पेश कर आराजी पर मुतनाजा पर 17/36 हिस्सा अंकित करने का कथन किया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय पत्र से प्रतिवादी द्वारा चाहा गया हिस्सा सिद्ध नही होना अधीनस्थ न्यायालय में पाया गया है। वादी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रतिवादीगण जितने रके पर मौके पर काबिज है उतना हिस्सा विभाजन किया गया है जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम लोहरवाड़ के हाल खसरा नम्बर 2141 रकबा 2.25 है. की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार कर उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में बाई मींटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेट संख्या 1 द्वारा अपने हक एवं अधिकरों की प्राप्ति हेतु वादग्रस्त आराजीयात बाबत उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया था जिस बाबत वर्तमान अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा उक्त राजस्व वाद का जवाब मय काउन्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत उक्त काउन्टर क्लैम बाबत किसी प्रकार से विस्तृत निर्णय पारित नहीं किया गया जो कि विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर पत्रावली पुनःअधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य से प्रतिप्रषित किया जाना उचित समझते है की वे उनके समक्ष लंबित वाद जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम बाबत पुनः तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं बयानों का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा वाद संख्या 107/2019 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 31.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष लंबित वाद जवाबदावे एवं काउन्टर क्लेम बाबत पुनः तनकीयात कायम कर सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं बयानों का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.12.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर